



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24022022-233720
CG-MH-E-24022022-233720

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 811]
No. 811]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 2022/फाल्गुन 5, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2022/PHALGUNA 5, 1943

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुम्बई, 22 फरवरी, 2022

का.आ. 840(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008, की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित उपखंड स्तम्भ (4), में उल्लेखित जिलों के सम्बंध में गुजरात राज्य में राजकोट - कानालुस बड़ी लाइन का दोहरीकरण (111.2 किमी.) की विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में, ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

सारणी

क्रम सं.	सक्षम अधिकारी	उपखंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रांत अधिकारी, जामनगर (ग्रामीण)	जामनगर (ग्रामीण)	जामनगर
2	प्रांत अधिकारी, राजकोट (ग्रामीण)	राजकोट (ग्रामीण)	राजकोट (ग्रामीण)

[फ़ा. सं. डबल्यू एन सी 335/1/2 ADI-Gujarat खंड II]

परमजीत सिंह, मुख्य अभियंता/निर्माण-VI

MINISTRY OF RAILWAYS**(Western Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 22nd February, 2022

S.O. 840(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officers nominated in in column (2) of the Table below as “Competent Authority” to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project of “Rajkot-Kanalus Doubling” of Broad Gauge Line section (111.2 Km.) in the State of Gujarat relating to Sub-Divisions mentioned in Column (3) Districts mentioned in Column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Prant Officer, Jamangar (Rural)	Jamangar (Rural)	Jamangar
2	Prant Officer, Rajkot (Rural)	Rajkot (Rural)	Rajkot

[F. No. WNC 335/1/2/ADI-Gujarat Vol. II]

PARAMJEET SINGH, Chief Engineer (Construction) VI